न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम खेताराम पुत्र मांगीलाल रेगर निवासी लिचाणा तहसील कुचामनसिटी

प्रा.पत्र नम्बर 202/2021 **GCMS No.2021/262**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24/8/2022	प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थी खेताराम पुत्र मांगीलाल जाति रेगर निवासी लिचाणा के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 544/261 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी तृतीय को अप्रार्थी ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आवासीय उपयोग के रूप में कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि का दुरूपयोग व कृषि से अकृषि कार्यो के उपयोग मे नही लिया गया है तथा न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण किया है, इसलिए दिनॉक 22.06.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज फरमाया जावें। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में किसी भी प्रकार से कृषि से अकृषि प्रयोजन उपयोग में नही लिया है तथा भूमि को उपयोग में लिये जाने से पूर्व विहित प्राधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर ही कृषि से अकृषि प्रयोजन काम में ली जावेंगी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए कि उसने उपरोक्त भूमि को कृषि से अकृषि उपयोग में नही लिया है तथा शीघ्र ही विहित प्राधिकृत अधिकारी के यहॉ आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि रूपान्तर करा लेगा, अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थी आवेदन–पत्र विहित प्राधिकारी के यहॉ पर प्रस्तुत करने में मजबूर है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 22.06.2021 एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। दिनांक :- 24.8.2022 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	